

फर्द अहकाम

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/9/22	<p>पत्रावकी देना। कमीन उभयपक्ष उर्फस्थित। वरम पर मनन करने एवं पत्रावकी का इन्वेस्टिग करके के पश्चात प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित मतीत नहीं होगा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पूर्व में जारी अंतरिम आर्साई निषेधाज्ञा दिनांक 27.5.22 खतरिय की जाती है। पत्रावकी फेसल शुभ्राए इन्वेस्टिग नक्कल से कर दो। यह आदेश आज दिनांक 01.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर चुकाया गया।</p>	


 अमितपाल
 उपखण्ड अधिकारी
 घडसाना